रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-18112024-258722
CG-DL-E-18112024-258722

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 653] नई दिल्ली, सोमवार, नवम्बर 18, 2024/कार्तिक 27, 1946
No. 653] NEW DELHI, MONDAY, NOVEMBER 18, 2024/KARTIKA 27, 1946

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय
(विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग)
अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 नवम्बर, 2024

सा.का.नि. 712(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग में संपदा अधिकारी के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.-(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, संपदा अधिकारी (समूह 'ख' पद) भर्ती नियम, 2024 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत होंगे।

2. पद की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर- पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उससे संलग्न वेतन मैट्रिक्स में उसका स्तर वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट है।

3. भर्ती पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि- उक्त पद पर भर्ती पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता – वह व्यक्ति, -

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है, उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परंतु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार पर लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिलन शक्ति. - जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों के संबंध में इस नियम द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृति- इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	**पदों की संख्या**	**वर्गीकरण**
(1)	(2)	(3)
संपदा अधिकारी	1*(2024) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'ख', राजपत्रित, अननुसचिवीय

वेतन मैट्रिक्स में स्तर	**चयन या अचयन पद**	**सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा**
(4)	(5)	(6)
वेतन मैट्रिक्स में स्तर 8 (47600- 151100 रुपये)	अचयन पद	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं।
(7)
लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होगी या नहीं।	**परिवीक्षा अवधि यदि कोई हो।**	**भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों से भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।**
(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित)

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती किए की जाने की दशा में, वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा ।
(11)
प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित): केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र या विश्वयविद्यालय या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थान या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या कानूनी या स्वायत्त संगठन के अधीन अधिकारी - (क) (i) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किया हो; या (ii) जिन्होंने मूल काडर अथवा विभाग में वेतन मैट्रिक्स, के स्तर-7 (रू. 44900-142400) या समतुल्य में नियमित आधार पर ग्रेड में पदासीन होकर दो वर्ष की सेवा की हो; और (ख) जिसके पास निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव हों, अर्थात- (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से सिविल या यांत्रिक या विद्युत या इलेक्ट्रॉनिक्स या सार्वजनिक स्वास्थ्य इंजीनियरी में स्नातक; तथा (ii) कार्यालय भवनों के समारक्षण और रखरखाव में दो वर्ष का अनुभव। **टिप्पण 1:** पोषक ग्रेड में विद्यमान पदधारी पर वेतन मैट्रिक्स के स्तर 6 (35400-112400 रुपये) में संपदा पर्यवेक्षक के पद पर छह वर्ष की नियमित सेवा पूर्ण होने पर, प्रोन्नति हेतु विचार किया जाएगा। संपदा अधिकारी के पद से उनकी अधिवर्षिता पर पद रिक्त होने के तत्पश्चात संपदा अधिकारी का पद, प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) द्वारा भरा जाएगा। **टिप्पण 2:** प्रतिनियुक्ति की अवधि (अल्पकालिक संविदा सहित) जिसमें केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि (अल्पकालिक संविदा सहित) है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। **टिप्पण 3:** प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना
(12)
समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार हेतु) जिसमें निम्नलिखित होंगे:- **1.** संयुक्त सचिव (प्रभारी, प्रशासन), विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (अध्यक्ष); **2.** निदेशक या उप सचिव (प्रभारी, साधारण प्रशासन), विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (सदस्य); **3.** निदेशक या उप सचिव (प्रभारी, अन्य शाखा या प्रभाग), विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (सदस्य)।

भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(13)
संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करने की आवश्यकता नहीं है।

[फा. स. प्रशा-12018/02/2024-स्थापना-III]

ए. धनलक्ष्मी, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

(Department of Science and Technology)

NOTIFICATION

New Delhi, the 18th November, 2024

G.S.R. 712(E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Estate Officer in the Department of Science and Technology under the Ministry of Science and Technology, namely: –

1. Short title and commencement. - (1) These rules may be called the Ministry of Science and Technology, Department of Science and Technology, Estate Officer (Group 'B' post) Recruitment Rules, 2024.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of post, classification and level in pay matrix - The number of post, its classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc. - The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the aforesaid Schedule.

4. Disqualification – No person, -

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax. - Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient, so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving. - Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, Ex-servicemen and other special categories of persons, in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	**Number of post**	**Classification**
(1)	**(2)**	**(3)**
Estate Officer	1* (2024) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'B', Gazetted, Non-Ministerial.

Level in pay matrix.	**Whether selection post or non-selection post.**	**Age-limit for direct recruits.**
(4)	**(5)**	**(6)**
Level 8 (Rs. 47600 – 151100) in the pay matrix.	Non-selection post.	Not applicable.

Educational and other qualifications required for direct recruits.
(7)
Not applicable

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	**Period of probation, if any.**	**Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.**
(8)	**(9)**	**(10)**
Not applicable	Not applicable	By deputation (including short-term contract)

In case of recruitment by promotion or deputation/absorption, grades from which promotion or deputation/ absorption to be made.
(11)
Deputation (including short-term contract): Officers under the Central Government or State Governments or Union territories or Universities or recognised research institute or public sector undertakings or statutory or autonomous organisations,- (a) (i) holding analogous post on a regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with two years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in posts in level 7 (Rs. 44900-142400) in the pay matrix or equivalent in the parent cadre or department**;** and (b) possessing the following educational qualifications and experience, namely:- (i) Bachelor degree in Civil or Mechanical or Electrical or Electronics or Public Health Engineering from a recognised University or Institute**;** and (ii) two years' experience in the upkeep and maintenance of office buildings. **Note 1:** The existing incumbent in the feeder grade shall be considered for promotion on completion of six years of regular service in the post of Estate Supervisor in level 6 (Rs. 35400-112400) in the pay matrix. Upon vacation of the post subsequent to his superannuation from the post of the Estate Officer, the post of Estate Officer shall be filled by deputation (including short-term contract). **Note 2**: The period of deputation (including short-term contract) including period of deputation (including short-term contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. **Note 3**: The maximum age-limit for appointment by deputation (including short-term contract) shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date of the receipt of applications.

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.
(12)
Group 'B' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of :- 1. Joint Secretary (In charge of Administration), Department of Science and Technology – Chairman; 2. Director or Deputy Secretary (In charge of General Administration), Department of Science and Technology – Member; 3. Director or Deputy Secretary (In charge of any other Branch or Division), Department of Science and Technology – Member.

Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment.
(13)
Consultation with Union Public Service Commission is not necessary.

[F. No. A-12018/02/2024-Estt.III]

A. DHANALAKSHMI, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. SARVESH KUMAR SRIVASTAVA